न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 69/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)
(निगराकार)

बनाम

1. चंदालाल पुत्र श्री बूचीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बोहत तह0 अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत बोहत जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.)
(गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक **(गैर निग. कम 1)**

निर्णय दिनांक 04.08.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बोहत ने दिनांक 05.10.2004 को गै. मु. रास्ता की भूमि खसरा नंबर 932 रकबा 0.15 है. का पट्टा कमांक 310 साइज 15X11 कुल क्षेत्रफल 165 वर्गफीट का गैर निगराकार कम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। अंकेक्षण वर्ष 2004–05 की ऑडिट रिपोर्ट के बाद विकास अधिकारी एवं पटवारी हल्का द्वारा की गयी जांच में भी उक्त पट्टा आबादी भूमि का नहीं पाया गया। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में दिनांक 05.10.2004 को जारी पट्टा संख्या 310 निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार कम 1 जर्ये अभिभाषक तथा कम 2 स्वंय उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार कम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार कम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का ना होकर गै.मु.रास्ता भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 310 दिनांक 05.10.2004 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस खसरा नंबर का जारी किया गया है पट्टे में खसरा नंबर दर्ज नहीं है। गैर निगराकार क्रम 1 को पट्टा कीमतन जारी किया गया है जिसे निगरानी के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रकरण क्षेत्राधिकार का नहीं है। इसमें अपील की जानी चाहिये। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिबीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 11006/2012 बउनवान Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 57/2020 बउनवान Khusal Singh Vs. State Of Rajasthan & Ors में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना भी प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानोनुसार आबादी भूमि का ही पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है, जबकि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को गै.मु. रास्ता की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्ध जारी किया है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्री चंदालाल पुत्र बूचीलाल कुम्हार को जारी पट्टा क्रमांक 310 दिनांक 05.10.2004 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible], सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:30 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
[illegible] बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)